21.02.2022 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलांट उप.। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि स्वयं अर्जित भूमि में पिता के जीवनकाल में न तो पुत्र को कोई अधिकार होता है और न ही कोई पुत्री को अधिकार होता है तथा पुत्र व पुत्री के हिस्से को छोड़ते हुए जितना हिस्सा पिता का बनता है वह हिस्सा उसका व्यक्तिगत हिस्सा होता है जिसे बेचने का अधिकार

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	उसके पिता का है कोई भी व्यक्ति अपने हिस्से से अधिक ~~से अधिक~~ भूमि पर स्थगन प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दस्तावेजात पर गौर किये बिना पारित किया गया। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में है। अत: अपील स्वीकार करमाई जावे।	
	अधिवक्ता अपीलांट की पत्रावली पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। मूल दावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है उभयपक्षकारान के हितों का निर्धारण मूल दावे के निस्तारण पर ही संभव है। दावे के विचारण में रहते वादी रेस्पो. को मौके से बेदखल किया जाता है तो अपूरणीय क्षति कारित होना संभाव्य है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन रेस्पो. वादी के पक्ष में है। लिहाजा अपील खारिज की जाती है तथा	
राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर		

रा. भू. अधि. की धारा 225 में अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधीनस्थ न्यायालय को आदेशित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई का अवसर देते हुए मूल वाद का निस्तारण अधिकतम तीन माह में किया जावे। पत्रावली फैसला शुमार नंबर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले इजलास सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर